फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सियाराम वगै0 बनाम कैलाश वगै0

मुकदमा नं0 :– 56/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 20.01.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पक्षकारान ने उपस्थित होकर पत्रावली के संबंध में 500/–रूपये के स्टाम्प पर सहमतीपत्र/राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान ने उक्त सहमती पत्र/राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम दोनों पक्षों का राजस्व मुकदमा नं0 56/2023, प्रार्थना पत्र सं0 34/2023 का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। हम दोनों पक्षों मे राजस्व जमाबन्दी में अंकित भूमि साबित खसरा नम्बर 2 मिनहाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.50है0 ग्राम खतेहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो कि प्रथमपक्ष गणों का काफी वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में द्वितीय पक्ष के नाम चली आ रही है। उक्त खसरा नम्बरो को लेकर दोनों पक्षों मे सहमती बन गई है। जो कि प्रथम पक्षगण अपनी कब्जा शुदा भूमि को पेड पौधों के अलावा राजीखुशी द्वितीय पक्षो को सम्भलायेगा और द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्षगणों को बदले में 1,00,000/– रूपये शब्दों मे एक लाख रूपये नगद देगा। तथा दो गवाही के समक्ष उक्त प्ररकण का निस्तारण या खारिज करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। दोनों पक्षो ने राजी खुशी अपनी मर्जी से किया गया सहमती पत्र से कोई पक्ष मुकरता है तो पंच पटेलों में झुठा समझा जायेगा, तथा उक्त फैसले से कोई भी पक्ष आना कानी करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की भूमि का सीमाज्ञान द्वितीय पक्ष के खर्चे पर करवाकर देगा और दोनों पक्षों के परिवार जन सहमती पत्र पर हस्ताक्षर करेगे। और प्रथम पक्ष अपनी कब्जा शुद्वा भूमि में से उक्त रकबा 2 बीघा भूमि नर्सरी के लगवा दी जायेगी। प्रथम पक्ष द्वारा जो माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है को आगामी पेशी पर कोर्ट में खारि करवा देगा। अतः पक्षकारान ने उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।<br>अतः पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमती पत्र/राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त सहमती पत्र/राजीनामा तथा कथित तथ्यो के आधार एवं निवेदन के आधार पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।<br>निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ | |